परियोजना-7

विभाग द्वारा प्रयोजित नाटक, नृत्य तथा निष्पादन कला के अन्य कार्यक्रमों हेतु परियोजना

(सरकार के पत्र संख्याः भाषा-क(3)10/80, दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा अनुमोदित)

1 उद्देश्य :

इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

1 निष्पादन कला को बढ़ावा देना ।
2 प्रदेश की निष्पादन कला को देश की कला के साथ जोड़ना ।
3 विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शित की जाने वाली कला के बारे में जानकारी प्राप्त करना ।
4 कला का आदान-प्रदान ।

2 राशि :

1 द्वितीय श्रेणी रेल अथवा साधारण बस के तीन किराये ।
2 सक्रिय भाग लेने वाले कलाकारों के अतिरिक्त एक दलनेता, एक निर्देशक तथा साज-सज्जा हेतु एक अन्य व्यक्ति को भी कलाकार माना जायेगा ।
3 कुल कलाकारों की अधिकतम संख्या 22 होगी ।
4 आयोजन से पूर्व यदि रिहर्सल की आवश्यकता हुई तो रिहर्सल आरम्भ होने के एक दिन पूर्व से लेकर आयोजन की समाप्ति तक रुपये 30/- जलपान राशि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दी जायेगी ।
5 विशेष प्रकार के आयोजनों में सदस्य संख्या में ढील देने के अधिकार निदेशक को होंगे ।
6 आवास का प्रबन्ध व इस पर होने वाला व्यय विभाग करेगा
7 जलपान राशि आयोजन वाले दिन स्थानीय कलाकारों को भी दी जायेगी।
8 नाटक प्रस्तुतिकरण के लिए 2500/- रुपये की एकमुश्त धनराशि दी जावेगी जिसमें सैट लगाने की कीमत भी शामिल होगी ।
9 लोक नृत्य प्रस्तुतिकरण में 50/- रुपये प्रति कलाकार प्रति आयोजन की धन राशि दी जायेगी ।
10 शास्त्रीय नृत्य/संगीत प्रस्तुतिकरण में कलाकार के अतिरिक्त चार संगीतज्ञों का पारिश्रमिक भी शामिल किया जायेगा । यह पारिश्रमिक कलाकारों के स्तर के आधार पर तय किया जायेगा ।

3 जलपान राशि :

आयोजन वाले दिन मुख्य अतिथि तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के जलपान हेतु 5/- रुपये प्रति व्यक्ति दिया जायेगा जिसका कुल व्यय 100/- रुपये से अधिक नहीं होगा ।

4 उपहार राशि :

हिमाचल प्रदेश के बाहर से आने वाले दलों को एक हिमाचली टोपी उपहार स्वरूप प्रति सदस्य दी जायेगी जिस पर 20/- रुपये प्रति टोपी से अधिक खर्च नहीं किया जायेगा ।